5.5.2025 पत्रावली पेश हुई।

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि

सहायक कलेक्टर, सांचौर
[illegible] अधिकारी, सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर 45/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	वांके मौजा दाता के खेत खसरा संख्या 1764/119 जुमले रकबा 0.0600 हैक्टेयर(ख.नं. 1763/119 रकबा 0.1633 ख.नं. 1761/119 रकबा 0.1633, ख.नं. 1762/119 रकबा 0.1634 ख.नं. 684 रकबा 1.70 हैक्टेयर खसरा संख्या 116/1266 रकबा 0.08 हैक्टेयर खसरा संख्या 120 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1311/684 रकबा 0.02 हैक्टेयर खसरा संख्या 145 रकबा 6.42 हैक्टेयर खसरा संख्या 269/1263 रकबा 0.1900 खसरा संख्या 682 रकबा 0.14 है. खसरा संख्या 684/1271 रकबा 0.0200 जुमले रकबा 6.88 हैक्टेयर(प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को पुश्तैनी आई हुई है जो पुराने खसरा संख्या 56, 111, 113, 231, 230, 67, 228 से सृजित हुए हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अमराराम के लड़के पुत्र, प्रपौत्र, पौत्रवधुएं एवं वारिसान होने से मौजा दाता में स्थित प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के हिस्सा पावो(की आरोजी अराजी	

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर 9/5/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज
	में प्रार्थी का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 06 के अनुसार भाई बहिन राईट पैदा होने से प्रार्थी का नोशनल शेयर प्रतीत होने से प्रार्थी का 1/5 हिस्सा आता होने से प्रार्थी के 1/5 हिस्से की खातेदारी पाने का अधिकार है। बंटवारा संवत 2075 में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से मौजा दाता में स्थित प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पैतृक आराजी खसरा खसरा नम्बरान का एक पारिवारिक एवं भाईयों का मौखिक बंटवारा कर अपने-अपने हिस्से अलग कर मौके काबिज कर कब्जा प्राप्त किया, मौखिक बंटवारे के पूर्व प्रार्थी के 1/5 हिस्से पर प्रार्थी ने कब्जा काश्त प्राप्त कर लिया जो बदस्तूर है। अप्रार्थीगण की नियत में खोट पैदा हो जाने से प्रार्थी को प्रार्थी के 1/5 हिस्से की आराजी से वंचित करने की नियत से अप्रार्थीगण ने प.मेरा रूपकर हल्का पटवारी एवं तब रजिस्ट्रार कानूनगो से मिलकर कर मौजा दाता में स्थित उपरोक्त खसरा नम्बरान की आराजी की खातेदारी अप्रार्थी अमरचन्द के नाम होने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 12:48:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक ... सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

...वा कार्यवाही अज इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।

अनुचित लाभ उठाते हुए अप्रार्थी अमलु
राम ने मौजा दाता में स्थित आराजी
खसरा नंबर आराजी अप्रार्थीगण के
हक में अवैध व विधि विरुद्ध रूप
से दानपत्र द्वारा हस्तांतरण करवाया
रेवेन्यू में अप्रार्थीगण के नाम भी अवैध
व विधि विरुद्ध रूप से दुरुस्ती करवा
ली एवं प्रार्थी को प्रार्थी के 1/5 हिस्से
की खातेदारी से अवैध रूप से वंचित
कर दिया गया जबकि आदेश आराजी
प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी
आराजी होने से प्रार्थी का 1/5
हिस्से पर कब्जा काश्त आया होने से
अप्रार्थी अमलुराम को आदेश खसरा
नंबर आराजी अप्रार्थीगण के पक्ष
में दानपत्र के जरिये हस्तांतरण करने
का विधि सम्मत अधिकार नहीं है उक्त
आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण
के कोई विधि सम्मत अधिकार पैदा
नहीं होता है। आज से 04 रोज
पूर्व प्रार्थी के हिस्से आराजी में काश्त
कार्य कर रहा था कि इतने में अप्रार्थीगण
एकराय होकर हमलावर होकर मौके
पर आकर प्रार्थी को उक्त आराजी
छोड़कर चले जाने की धमकियां
धमकी दी जबकि प्रार्थी का प्रार्थी
के हिस्से में एवं कब्जे की आराजी.

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:18:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर 45/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	पर लगातार शांतिपूर्वक [illegible] कब्जा काश्त आया हुआ है अप्रार्थीगण उक्त आराजी आगे किसी तीसरे अजनबी व्यक्ति को हस्तांतरण करने की फिराक में है। अप्रार्थी द्वारा बेचान आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी आयी होने से प्रार्थी का [illegible] पैदा होता है प्रार्थी का 1/5 हिस्सा आया होने से प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में आता होता है तथा उक्त आराजी में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा आया होने से प्रार्थी का प्रार्थी के 1/5 हिस्से की आराजी पर कब्जा काश्त आया होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थी को प्रार्थी के हिस्से एवं शेयर की आराजी से जबरदस्ती बेदखल कर दिया जाये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जो रुपये पैसों से क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी।
	अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि इस मामले की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल दावा तक विरुद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमावे कि [illegible]

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(... अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा संख्या:- 45/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकामजो इस हुक्म की तारीख के जारी हुये
	दाता में स्थित आदेश खातेदारान आराजी में के प्रार्थी के स्व. रिश्ते की आराजी के कब्जे/काश्त में न तो अप्रार्थीगण दखल व न किसी अन्य के द्वारा दखलंदाजी करवावें मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।	
	अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपना कथन में निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित ग्राम के ख.नं. 116/1266 रकबा 0.08 है. ख.नं. 120, ख.नं. 684, 684/1271, 269/1263, 682, 685, 1761/119 1764/119, 1763/119, 1762/119, 68, 144/68, कुल्ले रकबा 9.13 हैक्टेयर एवं पुश्तैनी भूमि 4.09 हैक्टे. निजी पड़ोसा एवं निजी आमदनी से खरीदशुदा अर्थात कुल 13.22 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त पुश्तैनी पैतृक आराजी है इसके अलावा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की मौजा लुणीयाना में स्थित खेत रकबा नं. 468, 467, 466, 458/8, 492 494 595 कुल्ले रकबा 22.20	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा संख्या :- 45/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिसियल्स जज
	हमेशा परिवार की संयुक्त आमदनी से खरीदशुदा आई हुई है जो दोनों गांवों की कुल 35.42 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। मौजा दाता व जुणीसरा की अपनी खातेदारी नम्बरान की अराजी का मौके पर एक पारिवारिक बंटवारा कर अलग अलग कब्जा काश्त सुपुर्द कर दिया, जो बदस्तूर है। अब्दुलरहमान संयुक्त परिवार का मुखिया व कर्ताधर्ता आदमी होने से भविष्य में बंटवारा को लेकर परिवार में किसी प्रकार का वाद-विवाद न थे न वारिसान भविष्य में नहीं करे. इसलिए अप्रार्थी अब्दुलरहमान ने परिवार के सदस्यों को एक साथ बैठाकर आपस में बात कर दाता व जुणीसरा की भूमि में उपजाऊ, सिंचाई के पानी की उपलब्धता डामर सडक से लगता हुआ खेत, कच्चा रास्ते के अलावा बिना रास्ते का खेत आदि को मध्यनजर रखते हुए चारों भाईयों में भूमि का बंटवारा कर अलग-अलग कब्जा सदस्यों के बीच में रखकर लिखित कर दस्तावेज निष्पादित कर परिवार के सभी [illegible] [illegible] एक अप्रार्थीगण के मध्य बराबर-बराबर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 1?:?8:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में बयान किये है। प्रार्थी ने अपने हित से अधिक नवीन हकपत्र की खेवट के तत्कालीन, अस्थायीन प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है क्योंकि निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नाजायज, अस्थायीन किये के खारिज फरमावें। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। उन पर मनन किया गया। तथा पत्रावली एवं उन पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। अतः हम प्रकरण के अस्थाई आदेश से संबंधित निम्नलिखित तीन मूलभूत बिन्दुओं के आधार पर विवेचन करते हुए निर्णित करना उचित समझते हैं:- 1. <u>प्रथम दृष्टया प्रकरण</u>:- प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी को संयुक्त खाता की एवं पुश्तैनी आराजी तथा अप्रार्थी संख्या-1 के बेटे छोटे का कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। वर्तमान राजस्व अभिलेखों में अप्रार्थीगण	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज
	वादग्रस्त आराजी के रिकार्ड जोतदार है तथा मौके पर अलग-अलग बेटवारा कर अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अनावेदकगण ने अपने जवाब में बताया कि रकबा 9.13 हेक्टेयर भूमि पुश्तैनी एवं 4.09 हेक्टेयर भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त आमदनी से खरीदशुदा अर्थात कुल रकबा 4.09 हेक्टेयर भूमि अर्जित हुई है। अनावेदकगण ने अपने जवाब में यह भी कथन किया कि प्रार्थी ने बेटवारा के तथ्य छिपाकर गलत तथ्य पर प्रार्थना-पत्र पेश किया है। प्रार्थी के बेटवारे में मौजा लुगीपाली का खेत आया हुआ है कब्जा काश्त प्रार्थी का है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में कथन किया कि पुश्तैनी आराजी का प्रार्थी 1/5 हिस्से का हकदार है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी के संबंधित हक-हकूकों का निर्धारण मूल वाद में तनकीहात निर्धारण के पश्चात साक्ष्य-सबूतों के आधार पर होगा। माननीय राजस्व मंडल ने अपने अनेक न्याय निर्णय में यह निर्धारित किया है कि रिकार्ड जोतदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ...
...खण्ड अधिकारी, ...

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा संख्या:- 45/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है इस प्रकार अप्रार्थीगण पड़तल आराजी के रिकॉर्ड खातेदार है. प्रथम मामला उनके पक्ष में बखूबी सिद्ध होता है।	
	2. सुविधा का संतुलन :- प्रार्थी द्वारा पड़तल आराजी पुश्तैनी आराजी होने से प्रार्थी का [illegible] पैदा होने से प्रार्थी को 1/5 हिस्सा आया होने से तथा प्रार्थी ने पड़तल आराजी पर निरन्तर काश्त करता होने का कथन किया है परन्तु पत्रावली पर इसका कोई डाक्यूमेंट्री साक्ष्य उपलब्ध नहीं है अप्रार्थीगण रिकॉर्ड खातेदार है एवं मौके पर किसान एवं इससे पूर्व भी निरन्तर पड़तल आराजी पर काश्त करते है इससे यह सिद्ध होता है कि पड़तल आराजी पर वर्तमान में काश्त अप्रार्थीगण द्वारा की जा रही है इस प्रकार सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में भली-भाँति सिद्ध होता है।	
	3. अपूरणीय क्षति :- पूर्व विवेचित बिन्दु	

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 18:48:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज
	प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुके हैं। पश्चात आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से रिकॉर्ड खातेदारान को कृषि अदान-अनुदान बैंक से ऋण प्राप्ति, सम्पत्ति एवं कृषि कार्य व विकास आदि से वंचित हो जायेंगे। इस प्रकार खातेदारों को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है, अतः यह बिन्दु संख्या अप्रार्थीगण संख्या-1 लगायत 13 के पक्ष में साबित होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह निष्कर्ष अभिमत है कि पश्चात आराजी के संबंध में रिकॉर्ड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित एवं विधि संगत नहीं समझते हैं। :: आदेश :: अतः विवेचन के आधार पर निम्नतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा संख्या :- 45/2023

म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित होने से अस्वीकार / खारिज किया जाता है। पत्रावली हस्ब मुताबिक फैसला शुमार होकर नंबर से एकम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:48 IST
Reason: SelfAttested